प्रधानमंत्री ने राज्यों के कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया
7 सितंबर, 2009

राज्यों के कल्याण मंत्रियों और सामाजिक न्यायमंत्रियों के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हुई है। सीमान्त वर्गों के सशक्तिकरण में उपलब्धियों के साथ विकास की गति को जोड़े बिना कोई प्रगति संभव नहीं है और इसके अभाव में हमारा देश सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं अपने सहयोगी मुकल वासनिक का आभारी हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के विषय पर विचार-विनिमय के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया है। जैसा कि मैंने कहा कि यह हमारा संवैधानिक, सामाजिक और नैतिक दायित्व है कि हम अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अपंग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों और सरोकारों को पूरा करने को उच्च प्राथमिकता दें। मुझे उम्मीद है कि आज के आपके विचार-विमर्श के ज़रिए केन्द्र और राज्य, दोनों ही ऐसी प्रभावकारी कार्यनीतियां तैयार करेंगे, जो हमारी आबादी के कमजोर वर्गों के लिए अधिक सुरक्षा, अधिक गरिमा, अधिक समानता और भेदभाव-रहित बर्ताव सुनिश्चित करने में सहायक होंगी।

दुर्भाग्य से हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि हमने इन उपेक्षित समूहों की विशेष समस्याओं से निपटने के लिए समुचित संवेदनशीलता और समझबूझ का परिचय दिया है। इस दिशा में प्रगति तो हुई है, परन्तु यह प्रगति हमारे देश की जरूरतों और लोगों की आकांक्षाओं से बहुत कम है। वे सभी हमारी विकास प्रक्रियाओं के समान भागीदार हैं और ऐसा समझा भी जाना चाहिए। विकास प्रक्रियाओं में इस अपरिहार्य अनिवार्यता का अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस बात पर विचार करें कि उपेक्षित वर्गों की उस क्षमता को कैसे काम में लाया जाये, जिसका व्यापक हिस्सा अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है ताकि उन्हें इस महान गणराज्य के समान उत्पादक नागरिक बनाया जा सके।

इन वर्गों के मुख्य राष्ट्रीय धारा से बहिष्कृत रहने की समस्या के मूल कारण सामाजिक पूर्वाग्रहों और तत्संबंधी भेदभाव में निहित रहे हैं। अधिक मानवीय और सामाजिक दृष्टि से प्रगतिशील और

अधिक विकसित समाज बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरे विचार में हमें पहले वह मानसिकता बदलनी होगी जो उपेक्षित वर्गों को उतने उत्पादक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में नहीं देखती, जितना कि वे वास्तव में हैं, किन्तु समाज का सीमान्त वर्ग होने के कारण वे हमारे नीति प्रतिष्ठान में हाशिये पर रहते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप एक ऐसा समन्वित जागरूकता कार्यक्रम तैयार करें जिसमें मीडिया, शैक्षिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों का रचनात्मक इस्तेमाल करते हुए इन सीमान्त वर्गों की खुशहाली को हमारे राष्ट्र की विकास कार्यसूची के केन्द्र में रखा जा सके।

हमारा पहला दायित्व भौतिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिन्ताजनक है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और वरिष्ठ नागरिकों पर अत्याचारों की खबरें देश के सभी भागों से निरन्तर प्राप्त होती रहती हैं। वास्तव में, मैंने हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा था कि वे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को अधिक कड़ाई से लागू करें। मैंने इस विषय पर मुख्यमंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकों में भी विचार-विमर्श किया है। यह दुखद बात है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में दोषसिद्ध किए जाने की दर 30 प्रतिशत से भी कम है जबकि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सभी संज्ञेय अपराधों के मामले में दोषसिद्ध किए जाने की औसत दर 42 प्रतिशत है। इसलिए राज्य सरकारों को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें अधिक नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। अदालती मामलों को अधिक परिश्रमपूर्वक और वरीयता के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

इस वर्ष हमारे देश के अनेक भागों में सूखे जैसी स्थिति की खबरें हैं। अनुभवों से पता चलता है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का सबसे बुरा असर कमजोर वर्गों पर ही पड़ता है। इसलिए हमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा, "अन्नपूर्णा" कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसे महत्वपूर्ण कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी में तेजी लाने के उपाय करने होंगे, जिनका लक्ष्य कमजोर वर्गों को मदद पहुंचाना है। यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि कमजोर वर्गों को उचित अनुपात में इन कार्यक्रमों से लाभ पहुँचे।

इस वर्ष हम प्रयोग के तौर पर एक नया कार्यक्रम - "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना" (पीएमएजीवाई), प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले 1,000 गांवों का समेकित विकास किया जायेगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य इन गांवों में विभिन्न विकास योजनाओं का समाभिरूप कार्यान्वयन है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव को 10 लाख रुपये अतिरिक्त दिए जायेंगे ताकि वह उन बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके, जो मौजूदा कार्यक्रमों के तहत पूरी नहीं हो पा रही हैं। अगर प्रायोगिक कार्यक्रम सफल रहा तो हमें उम्मीद है कि हम इसका विस्तार करेंगे।

पिछले कुछ महीनों के दौरान अपंग व्यक्तियों के प्रतिनिधि समूहों के साथ मेरी बैठकें हुई हैं। मैंने उनमें से प्रत्येक में यह इच्छा और प्रतिबद्धता पायी है कि वे उत्पादक जीवन जिएं और समाज को व्यक्तिगत योगदान करें। हमें उन्हें ऐसा करने का हर संभव अवसर प्रदान करना चाहिए। अपनी विशेष जरूरतों के साथ उन्हें समान नागरिकों की भांति समान अवसरों की आवश्यकता है। हमारे देश ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और उसकी पुष्टि की है, जो मई 2008 से लागू हो चुका है। यह समझौता अपंग व्यक्तियों के विभिन्न अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिए सभी हस्ताक्षरी देशों पर कुछ दायित्व डालता है। इसलिए हम राज्य सरकारों और सभी सम्बद्ध पक्षों के साथ सलाह-मशविरा करके अपंग व्यक्ति अधिनियम में व्यापक संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं ताकि उसे संयुक्त राष्ट्र समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों के अनुरूप बनाया जा सके।

अपंग व्यक्तियों के मामले में पहुंच एक प्रमुख मुद्दा है। मैं शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, बैंकों और जन-सम्पर्क से सम्बद्ध अन्य संस्थानों से अपील करता हूं कि वे उपेक्षित व्यक्तियों के लिए अधिक इस्तेमाल अनुकूल और सुगम्य बनें। इस दिशा में छोटे-छोटे उपायों से बड़ी सहायता की जा सकती है, जैसे भवनों में प्रवेश के लिए ढलान की व्यवस्था करना और ऐसे व्यक्तियों के कार्यों में सुविधा पहुंचाने के लिए अधिकारी निर्दिष्ट करना।

संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सभी भारतीय भाषाओं में सुगम्य सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा सकने के लिए हमारी वेबसाइटें उनके अधिक अनुकूल बनायी जानी चाहिए और मुझे खुशी है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मेरे विशिष्ट सहयोगी मुकुल वासनिक के नेतृत्व में इस दिशा में एक शुरुआत की है। मैं इस पहल के लिए श्री वासनिक को मुबारकबाद देता हूं। इसी प्रकार राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से भी कहा जाना चाहिए कि वह रोजमर्रा के काम आने वाले उपकरणों और औजारों के ऐसे डिजाइनों को प्रोत्साहित करे जो विभिन्न अक्षमताओं से बाधित व्यक्तियों की जरूरतें पूरी कर सकें। मेरी राय में ये ऐसे संस्थान हैं जिन्हें शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों की वैध आकांक्षाएं पूरी करने के लिए सामाजिक चेतना पैदा करने की पहल करनी चाहिए।

वित्त मंत्री ने 2007-08 के बजट भाषण में शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के वास्ते एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। यह योजना 1 अप्रैल 2008 से लागू है। किन्तु, खेद की बात है कि पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान इस योजना से कोई खास लाभ विकलांग व्यक्तियों को नहीं पहुंचा है। इसका आंशिक कारण 2008-09 की आर्थिक मंदी हो सकती है। किन्तु, अब जैसे-जैसे हमारी अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से उबर रही है, तो मैं कारपोरेट क्षेत्र से अपील करता हूं कि वह इस योजना के कार्यान्वयन में तत्परता दिखाए। केन्द्र और राज्य सरकारों तथा कारपोरेट क्षेत्र को मिल कर काम करना होगा ताकि इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सकें। यह कारपोरेट उद्यमों के सामाजिक दायित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अनुमान है कि 2026 तक हमारे वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या दोगुनी से अधिक हो जायेगी और 17.3 करोड़ पर पहुंच जायेगी। भारत में बुजुर्गों के सम्मान और सेवा की दीर्घ परम्परा रही है। किन्तु, बढ़ते शहरीकरण और परिवारों के एकलीकरण को देखते हुए हमें वृद्धजनों और वरिष्ठ व्यक्तियों की देखरेख के लिए समुदाय और सरकार की भूमिका पर विचार करना चाहिए। यह परमावश्यक है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें।

हमारी संसद ने दिसम्बर 2007 में एक महत्वपूर्ण कानून बनाया था-माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक (भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम)। किन्तु, राज्य सरकारों को अलग-अलग इस अधिनियम को अमल में लाना है, इसके अंतर्गत नियम अधिसूचित करने हैं, और भरण-पोषण न्यायाधिकरणों की स्थापना करनी है और उन्हें सक्रिय बनाना है। पांच राज्यों को अभी यह अधिनियम अधिसूचित करना है। जिन राज्यों ने इस अधिनियम को लागू किया है, वे भी तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई करने में धीमे रहे हैं, जो उन्हें उच्च प्राथमिकता के साथ करनी होगी।

मैंने जिन पहलुओं की चर्चा की है वे आपकी कार्यसूची में शामिल अनेक कार्यों का छोटा सा हिस्सा मात्र हैं। जब से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई है, मेरा यह मानना है कि बहुत से नेक कार्य किए गए हैं। मुकुल वासनिक ने इस मंत्रालय को उद्देश्य की नयी भावना और गतिशीलता प्रदान की है। केन्द्र और राज्यों के स्तर पर अभी बहुत कुछ किया जा सकता है और करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मंत्रालय जरूरतों के अनुसार खरा उतरेगा। मुझे बताया गया है कि मंत्रालय के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम "हाथ से मैला ढोने वालों के लिए स्वरोजगार योजना", के अंतर्गत पहचान किए गए लाभार्थियों में से आधे से अधिक का पुनर्वास अभी किया जाना है। हमें यह कार्य सर्वोच्च वरीयता के आधार पर करना होगा। राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्तियां और छात्रावास संबंधी कार्यक्रमों को अधिक सक्रियता के साथ लागू करना होगा। अक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया तीव्र बनायी जानी चाहिए, बेहतर हो कि आवेदन करने की तारीख से एक महीने के भीतर ये प्रमाणपत्र जारी करने की पुख्ता व्यवस्था की जाये।

अंत में, मैं उम्मीद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की कार्यवाही सभी उपेक्षित वर्गों के प्रति एक अनुकम्पा की भावना, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और देखभाल एवं प्रावधान के दायित्व के साथ निर्देशित हो। मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं।

"***"